

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं० 647
अन्तर्गत धारा 111-128 आरटीए

निर्णय दिनांक-20-06-18


:: निर्णय ::

प्रार्थी श्री हरजी वि. कामाजी

प्रार्थी उम्र 25 नि० 252 तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदालत धारा 111, 128 ले० 200 एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा में स्थित खाता संख्या 152 पर आराजी नं० 449 पर पंचायत समिति बिस्वा कित्ता 1 योग रकबा 0-08 पर प्रार्थी नालिक काबिज होकर कृषि काश्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आय दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है। करते है और लडाई झगडा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगडी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी गिरजा लाल के खसरा नं० 450 रकबा 11 बिस्वा कुल कित्ता 1 योग रकबा 11 जमाबंदी सम्वत् 2070-73 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है और विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा 252 में स्थित खाता संख्या 152 पर आराजी नं० 449 रकबा 8 बिस्वा कुल कित्ता 1 योग रकबा 8 बिस्वा की पत्थर गडी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा 252 में स्थित खाता संख्या 152 पर आराजी नं० 449 रकबा 8 बिस्वा कुल कित्ता 1 योग रकबा 8 बिस्वा विवादग्रस्त आराजी की पत्थरगडी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार डूंगरपुर मू०अ० निरीक्षक के नैतृत्व में टीम गठित कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गडी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगडी शुल्क रू० 500/- प्रार्थी स्वयं राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगडी की जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर